संख्या-4/2019/13(2)2007/का-1-2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक **27** सितम्बर,2019

विषयः-राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु "मेरिट" आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2908-का-1-83 दिनांक 22.03.1984 के प्रस्तर-2(2) के अनुसार 'श्रेष्ठता' के आधार पर चयन की प्रक्रिया निम्नवत् थीः-

"(क) उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध निर्धारित अनुपात में रखे गये पात्रता क्षेत्र के समस्त अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाना चाहिये। "श्रेष्ठता" के मापदण्ड के अनुसार चयन का तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण पात्रता क्षेत्र में से सर्वोत्तम अधिकारियों को चयनित किया जाए। अतः पात्रता क्षेत्र के समस्त अधिकारियों का मूल्यांकन कर उनकी आपसी तुलनात्मक पारस्परिक श्रेष्ठता के विषय में निर्णय लिया जाना चाहिये।

(ख) श्रेष्ठता के मापदण्ड के आधार पर चयन में अधिकारियों के सम्पूर्ण सेवाकाल की प्रविष्टियां देखी जायें, परन्तु विशेष ध्यान अन्तिम 10 वर्षो की प्रविष्टियों पर दिया जाए।

(ग) अधिकारियों की चरित्र पंजियों की प्रविष्टियों के आधार पर मूल्यांकन करने हेतु उन्हें निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया जायः-

(1) अति उत्तम

(2) उत्तम

(3) अनुपयुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

चरित्र पंजियों की प्रविष्टियों के आधार पर अधिकारियों का मूल्यांकन करके उन्हें उक्त तीन श्रेणियों में रखने के पश्चात् सर्वप्रथम 'अति उत्तम' श्रेणी के अधिकारियों में से उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार रिक्तियों को भरा जाए और उसके पश्चात् आवश्यकतानुसार 'उत्तम' श्रेणी के अधिकारियों में से शेष रिक्तियां भर ली जाय। अति उत्तम तथा उत्तम श्रेणी के अधिकारियों में से चयनित अभ्यर्थियों के नाम उनकी मूल वरिष्ठता क्रम के अनुसार पुनः रिअरेंज करके एक सूची बना ली जाए जो उनकी वरिष्ठता सूची होगी।''

2. शासनादेश दिनांक 20.11.2017 के माध्यम से कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.1984 के प्रस्तर-2(2) तथा तदविषयक शासनादेशों की व्यवस्था को संशोधित करते हुए ''श्रेष्ठता'' (मेरिट) आधारित चयनों के सम्बन्ध में प्रस्तर-3 में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी हैः-

''(क) उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष यथास्थिति निर्धारित अनुपात/गुणांक /उपलब्धता के आधार पर पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित समस्त अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाय। पात्रता क्षेत्र के समस्त अधिकारियों का मूल्याँकन उनकी अन्तिम दस वर्ष की प्रविष्टियों के आधार पर किया जाय (यथावश्यकता सम्पूर्ण सेवा काल की प्रविष्टियाँ देखी जा सकती हैं) तथा उनकी आपसी तुलनात्मक पारस्परिक श्रेष्ठता के क्रम में सर्वोत्तम अधिकारियों का चयन किया जाय।

(ख) चयन समिति वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों, उसमें प्रदत्त श्रेणी व अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के आलोक में समुचित मूल्याँकन करेगी। प्रासंगिक अभिलेखों में सरकारी सेवक की प्रविष्टियों/श्रेणी के सन्दर्भ में दिये गये प्रत्यावेदन के सापेक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया आदेश तथा मा0 न्यायालयों/मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश, यदि कोई हों, भी सम्मिलित हैं ।

(ग) पदोन्नति हेतु विचारण क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों हेतु विभागीय चयन समिति द्वारा एक मानक (Bench-mark) निर्धारित करते हुए अधिकारियों को केवल 'उपयुक्त' अथवा 'अनुपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा। विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करने वाले अधिकारियों को उपयुक्तता के आधार पर चयन सूची (Select Panel) में सम्मिलित किया जायेगा और उनके नाम उनकी पोषक संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता के क्रमानुसार व्यवस्थित किये जायेंगे। पदोन्नति के आदेश ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति हेतु 'उपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का अधिक्रमण (Supersession) नहीं होगा। विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जिन अधिकारियों को 'अनुपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा, उनके नाम चयन सूची में नहीं सम्मिलित किये जायेंगे।''

3. उपरोक्त व्यवस्थाओं को लागू करने में कतिपय कठिनाईयां अनुभव की जा रही हैं। उदाहरणार्थः-

(1) सर्वोत्तम अधिकारियों का चयन करने की दशा में कहीं-कहीं बहुत अधिक Supersession की स्थिति बन सकती है, जबकि यह शासन की मंशा नहीं है। शासन के ढॉचें में योग्यता के साथ-साथ वरिष्ठता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और चयन प्रक्रिया में दोनों का सामंजस्य अति आवश्यक है।

(2) 'बेन्चमार्क' शब्द के उपयोग के कारण यह भ्रांति उत्पन्न होती है कि किसी पूर्व निर्धारित व्यवस्था से अभ्यर्थियों का मूल्यांकन Mechanically किया जाना है, जबकि विभिन्न न्यायालय के निर्णयों में यह सिद्धान्त निर्धारित हो चुका है कि डी0पी0सी0 को चयन हेतु अभ्यर्थियों के उचित मूल्यांकन हेतु अपनी प्रक्रिया तथा ढंग (Method & Procedure) निर्धारित करने का अधिकार है। डी0पी0सी0 अनेक उपलब्ध अभिलेख तथा सामूहिक विवेक (Collective Wisdom) के आधार पर अपनी संस्तुति करती है तथा अभ्यर्थियों का कोई आंकिक (Numerical) मूल्यांकन करने को बाध्य नहीं है।

4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्यायालयीय वादों (Court Case) में यह निर्देश और सिद्धान्त (Instructions and Rulings) दिये गये है कि पदोन्नति हेतु चयन के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का विनिश्चय करने हेतु, विभागीय चयन समिति निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु, अपनी विधियों (Own Methods) एवं प्रक्रियाओं (Procedures) का निर्धारण करने हेतु, अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कतिपय वादों में पारित महत्वपूर्ण निर्णय/संवीक्षाएं संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः-

(a) In A.K. Narula case (AIR 2007 SC 2296), the Hon'ble Supreme Court has observed:

> "the guidelines give a certain amount of play in the joints to the DPC by providing that it need not be guided by the overall grading recorded in the CRs, but may make its own assessment on the basis of the entries in the CRs. The DPC is required to make an overall assessment of the performance of each candidate separately, but by adopting the same standards, yardsticks and norms. It is only when the process of assessment is vitiated either

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

on the ground of bias, malafide or arbitrariness, the selection calls for interference. Where the DPC has proceeded in a fair, impartial and reasonable manner, by applying the same yardstick and norms to all candidates and there is no arbitrariness in the process of assessment by the DPC, the court will not interfere".

(b) In Union of India vs. K.V. Jankiraman case(AIR 1991 SC 2010), the Supreme Court has taken cognizance of role of DPC the case of an officer on whom a penalty has been imposed and has held that:

"An employee has no right to promotion. He has only right to be considered for promotion. The promotion to a post and more so, to a selection post, depends upon several circumstances. To qualify for promotion, the least that is expected of an employee is to have an unblemished record. That is the minimum expected to ensure a clean and efficient administration and to protect the public interest. An employee found guilty of misconduct cannot be placed on par with the other employees, and his case has to be treated differently In fact, while considering an employee for promotion his whole record has to be taken into consideration and if a promotion committee takes the penalties imposed upon the employee into consideration and denies him the promotion, such denial is not illegal and unjustified."

(c) In UOI & Anr. Vs. S.K. Goel & Ors. (Appeal (Civil) 689/2007 -SLP0-2410/ 2007), the Hon'ble Supreme Court has held that:

"DPC enjoyed full discretion to devise its method and procedure for objective assessment of suitability and merit of the candidate being considered by it. Hence interference by High Court is not called for. " While delivering the above judgement, the Division Bench has observed that: "...it is now more or less well settled that the evaluation made by an Expert Committee should not be easily interfered with by the Court which do not have the necessary expertise to undertake the exercise that is necessary for such purpose."

5. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के नियम-5(1) में 'मेरिट' के चयनों को निम्नवत् परिभाषित किया गया हैं-

''यदि किसी सेवा नियमावली में, ''सर्वथा योग्यता'' (Strict Merit) अथवा ''मुख्य रूप से योग्यता'' (Primarily on Merit) या ''समस्त पात्रता क्षेत्र से योग्यतानुसार कड़ाई से चयन'' (Rigorous selection on merit from the whole field of eligibility) अथवा ''सर्वथा योग्यतानुसार'' (Strictly on Merit) या ''योग्यता समान होने की दशा में ज्येष्ठता की गणनीयता'' (Seniority counting where merits are equal) या किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योग्यता को आधार मानने पर मुख्यतया बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर इसके पश्चात् ''योग्यता'' (मेरिट) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा।''

6. इन सभी पहलुओं पर भली-भांति विचार कर शासनादेश दिनांक 20.11.2017 के प्रस्तर-3(क) निम्नांकित अंश विलोपित किया जाता हैः-

"(यथावश्यकता सम्पूर्ण सेवा-काल की प्रविष्टियां देखी जा सकती हैं) तथा उनकी आपसी तुलनात्मक पारस्परिक श्रेष्ठता के क्रम में सर्वोत्तम अधिकारियों का चयन किया जायं।"

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त अंकात्मक बेन्चमार्क निश्चित करते हुए, मूल्यांकन आदि की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त/व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-

(1) अन्तिम 10 वर्षो का अभिप्राय संबंधित चयन वर्ष से ठीक 10 वर्ष पूर्व की अवधि के अभिलेखों से होगा। उदाहरण के लिए चयन वर्ष 2019-2020 में यदि चयन 31 अक्टूबर, 2019 के पूर्व सम्पन्न होगा, तो इसके लिए मुख्य रूप से वर्ष 2008-2009 से वर्ष 2017-2018 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं अन्य अभिलेखों आदि का संज्ञान लिया जायेगा तथा 31 अक्टूबर, 2019 के बाद सम्पन्न होने वाले चयनों हेतु मुख्य रूप से वर्ष 2009-2010 से वर्ष 2018-2019 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं अन्य अभिलेखों आदि का संज्ञान लिया जायेगा।

(2) पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के लिये निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेगेः-

1.	12 माह की उत्कृष्ट प्रविष्टि हेतु	10 अंक
2.	12 माह की अतिउत्तम प्रविष्टि हेतु	08 अंक
3.	12 माह की उत्तम/अच्छा प्रविष्टि हेतु	05 अंक
4.	12 माह की संतोषजनक प्रविष्टि हेतु	02 अंक
5.	12 माह की खराब/असंतोषजनक प्रविष्टि हेतु	05 अंक घटाये जायेंगे।
6.	निलम्बन अवधि	कोई अंक नहीं, किन्तु अप्राप्त मानते हुए औसत मूल्यांकन।
7.	03 माह से कम अवधि की प्रविष्टि हेतु	कोई अंक नहीं। प्रविष्टि अप्राप्त मानी जायेंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) चयन समिति द्वारा प्रविष्टियों के अंक देते समय सम्पूर्ण प्रविष्टि देखकर उसकी ग्रेडिंग की जायेगी।

(4) उपर्युक्त उप प्रस्तर-2 पर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार 12 माह से कम अवधि के लिए, प्राप्त अंक को कुल माह जिनकी प्रविष्टि मूल्यांकित की गयी 1/12 के अनुपात में कम कर दिया जायेगा। इस प्रकार, प्राप्त अंकों के कुल योग को कुल माहों (जिन माहों की प्रविष्टि मूल्यांकित की गयी) से विभाजित करने पर औसत मासिक अंक प्राप्त होगा, जिसे 12 से गुणा करने पर औसत वार्षिक अंक प्राप्त होगा। अर्थात् कार्मिक को प्राप्त होने वाले औसत वार्षिक अंक की गणना निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जायेगीः-

$$\frac{\text{कुल प्राप्तांक X 12}}{\text{कुल मूल्यांकित माह}}$$

(5)प्रत्येक दीर्घ शास्ति हेतु संबंधित कार्मिक को प्रथम 05 क्रमिक चयनों में 'अनुपयुक्त' माना जायेगा, किन्तु 05 क्रमिक चयन के पश्चात् के चयन हेतु उक्त दीर्घ शास्ति/शास्तियों को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक लघु शास्ति हेतु संबंधित कार्मिक को प्रथम 02 क्रमिक चयनों में 'अनुपयुक्त' माना जायेगा, किन्तु 02 क्रमिक चयन के पश्चात् के चयन हेतु उक्त लघु शास्ति/ शास्तियों को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(6) यद्यपि चेतावनी/सचेत किये जाने के संबंध में सम्प्रति प्रभावी उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी प्रायः आदेश निर्गत हो जाते है। अतः यह व्यवस्था की जाती है कि यदि शासन स्तर से संबंधित कार्मिक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त चेतावनी/सचेत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है, तो प्रत्येक चेतावनी/सचेत हेतु 05 अंक घटाये जायेंगे।

(7) संबंधित कार्मिक की सत्यनिष्ठा, नेतृत्व प्रदान करने व त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, तकनीकी/ विषयज्ञान, विशिष्ट उपलब्धियों/योगदान, कार्य की सुगमता से निष्पादन की क्षमता, विशेष प्रविष्टियों, व्यक्तिगत पत्रावली में उपलब्ध अन्य अभिलेखों एवं विभागीय पदोन्नति समिति के संज्ञान में लाये गये अन्य तथ्यों के आधार पर भी चयन समिति द्वारा संबंधित कार्मिक के अंक घटाये या बढ़ाये जा सकते है। इसके लिए तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख विभागीय चयन समिति द्वारा अवश्य किया जायेगा।

(8) 48 माह से अधिक की प्रविष्टियों पूर्ण न होने की दशा में, चयन आस्थगित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) जिन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के विरूद्ध प्रत्यावेदन सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995 के नियम-5 के तहत प्रतिकूल रिपोर्ट संसूचित न किये जाने अथवा किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध किसी प्रत्यावेदन के इसी नियमावली के नियम-4 के अनुसार निस्तारण न किये जाने की दशा में, ऐसी रिपोर्ट को संबंधित सरकारी सेवक की पदोन्नति संबंधी मामलों के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा।

(10)मूल्यांकन दशमलव के दो अंको तक गणितीय सिद्धान्तों के अनुरूप पूर्णांकित (Rounding Off) करते हुए किया जायेंगा।

(11)उपर्युक्त उप प्रस्तर-1 से 10 के आधार पर 100 अंको में से 80 अंक का बेन्चमार्क निर्धारित करते हुए 80 या 80 से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी/कार्मिक को ''उपयुक्त'' श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए, वास्तविक रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक, उनकी पोषक संवर्ग की वरिष्ठता के क्रम में, चयन सूची में शामिल किया जायेगा तथा उनकी पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के आधार पर उनके पदोन्नति के आदेश निर्गत किये जायेंगे। ज्ञातव्य हो कि 'उपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारियों के मध्य मेरिट के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। अर्थात् चयनित अधिकारियों का अधिक्रमण (Supersession) नहीं होगा। 80 अंक से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यदि 80 अंक के बेन्चमार्क के आधार पर रिक्तियों की संख्या के अनुरूप 'उपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत कार्मिक उपलब्ध नहीं हो पाते है, तो चयन समिति उक्त 80 अंक के बेन्चमार्क को घटाने हेतु सक्षम होगी।

8. संबंधित विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी (यथास्थिति- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) का यह दायित्व होगा कि सभी प्रतिकूल प्रविष्टियों का नियमानुसार संसूचन करते हुए, प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के उपरान्त ही विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की जाय। उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2012-2013 एवं उसके पश्चात् की सभी प्रकार की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को कार्मिक अनुभाग2 के शासनादेश संख्या-36/1/78-का-2/2013 दिनांक 01.02.2013 सपठित शासनादेश संख्या-36/1/78-का-2 दिनांक 29.01.2014 की व्यवस्थानुसार संसूचित करते हुए, प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रत्यावेदनों का नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त ही चयन समिति की बैठक आयोजित की जाय।

9. विभागीय चयन समिति के समक्ष, प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने की पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व संबंधित विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी (यथास्थिति-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) का होगा।

10. उपरोक्त के आलोक में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरिट आधारित चयनों में कृपया उक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी

मुख्य सचिव।

संख्या-4/2019/13(2)2007/का-1/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

मुकुल सिंहल

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।